

13⁶/₁₈

पगावली पेश दुई। दावा $8\frac{2}{12}$ को दर्ज
रजिस्टर किया जाकर, तलवी में रखा
गया। दि. 24⁹/₁₄ की आदेशिका में प्रतिवादीगण
की जरिये Reg A.D. तलवी के आदेश हो
चुके हैं। वादी वकील ने इतने लम्बे अंतराल
में प्रतिवादीगण के लभन जरिये Reg A.D.
तमिल करने हेतु तलवाना पेश नहीं किया
जिससे यह लगता है कि वादी व वादी वकील
प्रतिवादीगण की तमिली से गुरेज कर रहे
हैं। अतः दावा तलवाने के अभाव में खारिज
किया जाता है। पगावली जिल्ल शुमार होकर,
नम्बर से कम होकर, बाद तस्वीब तलमील
काखिल दफ्तर हो।



महायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीकाने